[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (i)

Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs

New Delhi, the 29th September, 2017

NOTIFICATION

G.S.R ....(E)._ In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Bank General Rules, 1981, namely: -

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Bank General (Amendment) Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Post Office Savings Bank General Rules, 1981,-

   (i) in rule 2, for clause (a), the following clauses shall be substituted, namely:-

   "(a) 'Aadhaar number' means an identification number as defined in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);

   (aa) 'Account' means a Savings Account, a Recurring Deposit Account, a Time deposit Account, Monthly Income Scheme Account, Sukanya Samriddhi Account or Senior Citizens Savings Account ;";

   (ii) after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:-

   " (3A) **Identification of Account holders.** -The Aadhaar number shall be the unique identifier for the purpose of establishing the identity of an account holder:

   Provided that where Aadhaar number has not been assigned, the depositor shall submit proof of application of enrolment for Aadhaar:

   Provided further that every depositor under this rule who has not given his Aadhaar number at the time of application for such deposit shall submit his Aadhaar number to the Post Office Savings Bank or Deposit Office concerned, on or before the 31st day of December, 2017".

[F. No. 1/3/2015-NS.II]

(Prashant Goyal)
Joint Secretary to the Government of India

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, extraordinary, part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 662 (E), dated the 17th December, 1981 and subsequently amended vide notification numbers G.S.R. 348 (E), dated the 10th May, 2002, G.S.R. 586(E) dated the 25th July, 2003 and G.S.R.219(E) dated the 13th March, 2014.

*****

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड-(i) में प्रकाशनार्थ]

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितंबर, 2017

सा.का.नि ---- (अ) - केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर बचत बैंक सामान्य नियम, 1981 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत बैंक सामान्य (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. डाकघर बचत बैंक सामान्य नियम, 1981 में, -

(i) नियम 2 में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-
"(क) 'आधार संख्या' से आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (क) में यथा परिभाषित पहचान संख्या अभिप्रेत है।
(कक) 'खाता' से बचत खाता, एक आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता, एमआईएस खाता, सुकन्या समृद्धि खाता अथवा ज्येष्ठ नागरिक जमा खाता अभिप्रेत है।"

(ii) नियम 3 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा; अर्थात:-

"(3क) खाता धारक की पहचान - यह आधार संख्या खाता धारक की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ विशिष्ट पहचान होगी।

परंतु जहां आधार संख्या नहीं दी गई है, जमाकर्ता आधार के लिए नामांकन के आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

परंतु और यह भी कि इस नियम के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता को जिसने ऐसे जमा के लिए आवेदन करते समय अपनी आधार संख्या नहीं दी है, को 31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले संबंधित डाकघर बचत बैंक या जमा कार्यालय को अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करनी होगी।"

[फा.सं. 1/3/2015-एनएस-II]

(प्रशांत गोयल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: मूल नियम अधिसूचना सा.का.नि. 662(अ) दिनांक 17 दिसंबर, 1981 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इसे अधिसूचना सं. सा.का.नि. 348(अ), तारीख 10 मई, 2002, सा.का.नि. 586(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003 और सा.का.नि. 219(अ), तारीख 13 मई, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।